

अधिशासी अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड.लोक निर्माण विभाग.चकराता।



Website-http://pwd.uk.gov.in पत्रांक 1061/15 ट 1

E-Mail-eepwdchakrata10@rediffmail.com दिनांक /6/11/2022

सेवा में.

म्रमागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग,कालसी।

विषय:--

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता लोखण्डी वुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्लाड़ के ग्राम उदावा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3,900 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online N0.FP/UK/ROAD/48173/2020)

सन्दर्भ:-

आपका पंत्राक सं0 8बी0 / यू.सी.पी. / 06 / 58 / 2022 / एफ0सी0 / 783 दिनांक 02.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा वनभूमि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियो का निराकरण बिन्दुवार निम्न है:-

	אלוו איוון און איז אוון איז	
क0	वनभूमि प्रस्ताव में लगी आपत्तिया	आपत्तियों का निराकरण
स०		
Y10		4.
1.	The purpose of the proposed road is only to provide	आपके स्तर से निराकरण किया जाना है।
	connectivity to an isolated villege where high volume of	
	traffic is not expected Further the road passes through a	
	dense forest the DFO shall mark the forest roads	
	available in the vicinity of the village to be connected and	
	infrom the possibility of using a forest road for providing	
2.	connectivity to the village The State Government shall reassess the proposed Width	पूर्व में लोक निर्माण विभाग में हल्का वाहन मार्ग (चौ० ४.२५ मी०) के
2.	and restrict it to bare minimum requirement Which shall	मानक से सड़क का निर्माण किया जाना सम्भव था परन्तु
	not be more than the width of 3 to 4 m.	उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्रों के
		मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु मानक न्यूनतम चौडाई 5.95 मी० से
		कम की प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव
		में मार्ग की चौडाई 3 से 4 मी0 किया जाना सम्भव नही है।
3.	No of trees affected by the proposal are mentioned as 33	इस प्रयोजना में वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षो की कुल
J.	in the tree enumeration list uploaded online. However,	संख्या 33 है जिसमें आरक्षित वन भूमि में 24 वृक्ष, सिविल सोयम
	number of trees affected are mentioned as 31 trees ar para	भूमि में 9 वृक्ष एवं वन पंचायत भूमि में शून्य वृक्ष आ रहे है। अतः
	4 in part II. Satate government is requested to clarify this	वनभूमि में कुल 33 वृक्ष ही प्रभावित हो रहे है।
	discrepancy and submit/ upload the correct information in	
	this regard.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4.	N.P.V is calculated as per old rates. State Government is	आपके रतर से निराकरण किया जाना है।
	requested to upload the N.P.V calculation sheet as per the	
	current rates.	
5.	The names of the documents upload in the in additional	The names of the documents upload in the in additional
	documents are not mentioned. Accordingly, names be	documents are mentioned. Accordingly, names be mentioned
	mentioned.	on dated 02.11.2022.
6.	Work not start certificate is not found authenticated by	आपके स्तर से निराकरण किया जाना है।
	DFO state Government shall upload the Work not start	
L	certificate duly authenticated by the concerned DFO.	

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, चकराता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

लो०नि०वि०,चकराता।

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,चकराता।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 25 सुभाष रोड, देहरादून–248001 दूरभाष: 0135–2650809 फैक्स–0135–2653010



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &

CLIMATE CHANGE

INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

फाईल संख्या_। 8वी./यूसी.पी./06/58/2022/एफ0 सी0/*न*-03

ईमेल- moef.ddn@gov.in

दिनांक: 02_/09/2022

Email- moef.ddn@gov.in

रोवा में,

 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2

विषयः - जनपद - देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता लोखण्डी वुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदाबा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 हैं0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/48173/2020)

सन्दर्गः—कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्राक 344 / FP/UK/ ROAD/48173/2020 दिनांक 01-08-2022

महोदय,

हुआ है सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश

- 1 connected and inform the possibility of using a forest road for providing connectivity to the where high volume of traffic is not expected. Further the road passes through a dense forest. The DFO shall mark the forest roads available in the vicinity of the village to be The purpose of the proposed road is only to provide connectivity to an isolated village
- The State Government shall reassess the proposed width and restrict it to bare minimum 030
- uploaded online. However, number of trees affected are mentioned as 31 trees at para 4 in correct information in this regard. part II. State government is requested to clarify this discrepancy and submit/ upload the requirement which shall not be more than the width of 3 to 4 m. - So No of trees affected by the proposal are mentioned as 33 in the tree enumeration list
- 4. calculation sheet as per the current rates. NPV is calculated as per old rates. State Government is requested to upload the NPV 090

1

(5) The names of the documents uploaded in the in additional documents are not mentioned. (Accordingly, names be mentioned.

6. 'Work not start' certificate is not found authenticated by DFO. State Government shall upload the 'Work not start' certificate duly authenticated by the concerned DFO.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे) सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

1.1

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे) सहायक महानिरीक्षक (वन)